भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 603

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है।

31 आषाढ़, 1948 (शक)

सोशल मीडिया प्रयोक्ताओं को शामिल करने के लिए नए विनियम

603. श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सोशल मीडिया प्रयोक्ताओं को शामिल करने के लिए नए विनियम बनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(छ) क्या सरकार व्यक्तिगत प्रयोक्ताओं को उनके सोशल मीडिया पोस्टों के लिए नोटिस भेजने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन सहित कई लोगों ने इस कदम की आलोचना की है और इसे असंवैधानिक सेंसरशिप का व्यापक विस्तार बताते हुए आलोचना की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार पिछले कई सप्ताहों ने उन पदों और खातों के विरुद्ध व्यापक रूप से हटाने के आदेश जारी कर रही है जो सरकार-विरोधी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ):** सरकार की नीतियों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों सहित अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट किसी भी प्रकार की गैरकानूनी सामग्री या सूचना से मुक्त हो।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा डिजिटल स्पेस में गैरकानूनी और हानिकारक सामग्री को हटाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में सरकार को विधिसम्मत अवरोधन आदेश जारी करने और गैर-कानूनी सूचना तक पहुंच को अक्षम करने के लिए तर्कसंगत सूचनाएं जारी करने का प्रावधान किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 167) मामले में 24 मार्च, 2015 को दिए गए अपने फैसले में इन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

आईटी अधिनियम के तहत आदेशों से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अदालतों में चुनौती दे सकता है। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2022 की रिट याचिका संख्या 13710 में 30 जून 2023 के अपने फैसले में आईटी अधिनियम के तहत सरकार की वैध शक्तियों के प्रयोग को बरकरार रखा।
